दिल्ली देवराला की सती-प्रथा विरोधी यात्रा

दिसम्बर 1987 में राजस्थान के देवराला गाँव में रूपकंवर नामक एक महिला को उसके पति की चिता में झोंक कर उसे सती करार दे दिया गया। उसे महिमा मण्डित करने के लिए श्रद्धालुओं का वहाँ ताँता लगने लगा। जब अखबारों में इस काण्ड का खुलासा हुआ तो हकीकत सामने आई कि रूपकंवर स्वेच्छा से अपने पति के साथ सती नहीं हुई थी। आर्य समाज ने कड़े शब्दों में इस नृशंस हत्याकाण्ड की भर्त्सना की जबकि शंकराचार्यों ने इसे शास्त्र सम्मत बतला कर इसका समर्थन ही नहीं किया बल्कि इसे महिमा मण्डित भी किया। भारतीय मीडिया ने कानून की दुहाई देकर इस काण्ड को अमानवीय करार दिया। ब्रिटिश काल में ही राजाराममोहन राय और ईश्वरचन्द्र विद्यासागर के प्रयासों से सती-प्रथा को दण्डनीय अपराध घोषित किया जा चुका था। तब भी पौराणिकों ने इसे लेकर हो-हल्ला मचाया था।

इस संवेदनशील और दिल दहला देने वाली घटना ने स्वामी अग्निवेश जी को भीतर ही भीतर हिला कर रख दिया। उन्होंने इस पर अपने अभिन्न मित्र स्वामी इन्द्रवेश जी से परामर्श किया। फलतः स्वामी अग्निवेश जी ने प्रेस कांफ्रेस बुला कर दिल्ली-देवराला तक सती प्रथा विरोधी यात्रा निकालने की घोषणा कर दी। स्वामी इन्द्रवेश जी उस समय पीठ-दर्द के कारण तीन-चार महीने पंत अस्पताल में उपचार कराकर गंज दारानगर केवलानन्द आश्रम में विश्राम कर रहे थे अतः इस बहुचर्चित यात्रा को उनका आशीर्वाद तो प्राप्त था लेकिन वे इसमें शामिल नहीं हो सके। राजस्थान में यात्रा के संयोजक श्री सत्यव्रत सामवेदी, रामसिंह आर्य, प्रो. रासासिंह रावत आदि के अतिरिक्त आर्य संन्यासी स्वामी दिव्यानन्द, स्वामी वरूपवेश, स्वामी चन्द्रवेश, स्वामी परमानन्द, स्वामी सिंह मुनि, आदि इस यात्रा में पूरा समय साथ रहे। यात्रा का संयोजन श्री जगवीर सिंह ने अपने साथियों श्री बिरजानन्द, धर्मवीर व प्रो. श्योताज सिंह के साथ मिलकर सम्भाला हुआ था।

दिल्ली से जब यह यात्रा शुरू हुई तो उनके धुर विरोधी रहे लाला रामगोपाल शालवाले आर्य समाज से निष्कासित स्वामी अग्निवेश का आर्य समाज दीवान हाल में पुष्पाहार से स्वागत करने पहुँचे। ज्यों-ज्यों यह काफिला आगे बढ़ता गया मीडिया में छाने लगा और कई लोग उसमें शामिल हो लिये। राजस्थान सरकार इस मामले को दबाये रखना चाहती थी क्योंकि दोषियों को सजा देने पर राजस्थान के अंधविश्वासी लोग उसके विरुद्ध भड़क कर सड़कों पर उतर सकते थे। अग्निवेश की इस यात्रा से राजस्थान सरकार धर्म संकट में फंस कई। उसके चुप रहने पर स्वामी अग्निवेश के अग्निबाण उसे आहत कर रहे थे और कुछ करने पर जनाक्रोश भड़कने का डर था। उसके एक तरफ खाई तो दूसरी तरफ कुँआ था। आर्य समाजी विद्वानों और पौराणिक आचार्यों व शंकराचार्यों के बीच एक अघोषित शास्त्रार्थ शुरू होने से यह प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया था। एक तरफ वेद था तो दूसरी तरफ पुराण, एक तरफ तर्क था तो दूसरी तरफ आस्था, एक तरफ कानून था तो दूसरी तरफ परम्परा, एक तरफ मानवता थी तो दूसरी तरफ पाखण्ड। स्वामी अग्निवेश जी को हतोत्साहित करने के लिए धमकियाँ दी जाने लगीं, यात्रा को रोकने के लिए नंगी तलवारें लेकर सती समर्थक सड़कों पर उतर आये,

राजस्थान में अशान्ति फैलाने के आरोप उन पर लगने लगे। लेकिन स्वामी जी के इस तर्क का उत्तर किसी के पास नहीं था कि पत्नी के मरने पर उसका जीवित पति चिता में आज तक क्यों नहीं बैठा? पूरे विश्व में कहीं भी जब यह कुप्रथा नहीं है तो भारत में क्यों है? संविधान और देश का कानून जब इसकी इजाजत नहीं देता तो इसे महिमामण्डित कैसे किया जा सकता है? स्वेच्छा से मरना भी कानून की दृष्टि में जब अपराध है तो रूपकंवर को कैसे मरने दिया गया? वैदिक वाङ्गमय में कहीं भी सती प्रथा का उल्लेख नहीं है तो पुराणों को प्रमाण कैसे माना जा सकता है?

स्वामी अग्निवेश जी की इस यात्रा ने जहाँ पौराणिक जगत् में खलबली मचा दी वहाँ राजस्थान सरकार व प्रशासन की नींद भी हराम हो गई। पुलिस ने आगे खतरे का संकेत देकर यात्रा को बाण्डी नदी के तट पर रोक दिया। बताया यह गया कि आगे बौखलाये लोगों का जत्था नंगी तलवारें लिये खड़ा है। स्वामी अग्निवेश जी न विचलित हुए, न लौटने का मन बनाया। इसी बीच उनके विरुद्ध राजस्थान हाईकोर्ट में एक जन-हित याचिका डाल दी गई। स्वामी जी ने गुमानमल लोढ़ा की अदालत में अपने केस की खुद ही जमकर पैरवी की। उनके तर्कों को सुनकर अदालत में सन्नाटा छा गया और लोढ़ा जी भी कायल हुए बिना न रहे। और उन्होंने यात्रा पर प्रतिबन्धा लगाने की बजाय उसे जारी रखने की इजाजत दे दी।

राजस्थान सरकार के सख्त आदेश थे कि यात्रा को किसी भी कीमत पर आगे न बढ़ने दिया जाये। भारी पुलिस के आगे यात्री कर भी क्या सकते थे लेकिन इस गतिरोध ने भी देश-विदेश में सती-प्रथा के विरुद्ध एक वातावरण बनाया, एक चेतना पैदा की। स्वामी अग्निवेश जी देवराला में जाकर जो बात कहना चाहते थे वह बात और अधिक दृढ़ता और स्पष्टता से नदी के इस तट पर खड़े होकर पूरी दुनिया के सामने मीडिया के माध्यम से रख चुके थे। भारतीय संसद में भी इस विषय को लेकर भारी हंगामा हुआ और सती-प्रथा कानून को और कड़ा करने की प्रक्रिया शुरू हुई। यह सब देखते हुए स्वामी जी ने 23 दिसम्बर को स्वामी श्रद्धानन्द बलिदान दिवस पर इस संकल्प के साथ यात्रा समापन की घोषणा कर दी। कि वे नर-नारी समाज एवं नारी उत्पीड़न के विरुद्ध अपनी जंग जारी रखेंगे! 25 दिसम्बर को पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमानुसार श्रद्धानन्द बलिदान समारोह के वक्त दिल्ली में लालकिले के सामने वाले मैदान में इस यात्रा में जाने वालों का भव्य स्वागत हुआ। आर्य नेताओं ने अपने मतभेद भुला कर तहे दिल से स्वामी अग्निवेश को मंच पर फूलों से लाद दिया। स्वयं स्वामी आनन्दबोध ने स्वामी अग्निवेश जी को इस विजयश्री का श्रेय देते हुये उनका स्वागत किया। निश्चय ही इस यात्रा ने आर्य समाज का कद बढ़ा दिया था।